(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/22/2018	10–05–2018	31–12–2018

1–सुगला पुत्र श्री भौरा जाति जाट निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
–प्रार्थी

बनाम

1–छाजू पुत्र हरसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
2–महेन्द्र सिंह पुत्र घीसाराम, जाति अहीर निवासी चतरपुरा, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
3–श्रीमति छोटी देवी पत्नी छाजूराम, निवासी चतरपुरा, तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।
4–श्रीमान् तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार, बहेसियत लैण्ड होल्डर बानसूर, जिला अलवर राज0।
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री नरेश चौधरी –वकील प्रार्थी
02. श्री अमरचंद चौधरी –वकील अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलक्टर, बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी सुगला बनाम छाजू वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद व प्रार्थना–पत्र 212 बअनुवानी सुगला बनाम छाजू वगै0 सहायक कलक्टर, बानसूर में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दावे में आगामी पेशी नहीं लगाई गई एवं प्रार्थना–पत्र 212 आरटी एक्ट में आगामी पेशी 24.05.2018 लगा दी गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के वकील के कहे अनुसार नजदीक–नजदीक की तारीख पेशीयां लगा रहे है। पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में एक माह में 6–6 पेशीयां लगा रहें है, जबकि दीगर मुकदमों में दो–दो, तीन–तीन माह की पेशी लगा रहे है। प्रतिवादी महेन्द्र ने सरेआम गांव में कहां है कि मैनें पीठासीन अधिकारी से मेल कर लिया है व मुकदमें का निस्तारण कैम्प दिनांक 17.05.2018 को मेरे हक में करा लुंगा। प्रतिवादी महेन्द्र को पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में व उनके घर आते–जाते अपनी आखों से देखा है। जिससे मिन प्रार्थी को अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में सही निर्णय नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी ने दावा में तारीख पेशी 23.04.2018 के बाद कोई पेशी नहीं लगाई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर बअनुवानी सुगला बनाम छाजू वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी नं0 3 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा व प्रा0पत्र 212 दोनों में साथ–साथ तारीख पेशीयां लगाई जा रही है। न्यायालय द्वारा राज सरकार के निर्देशानुसार व प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने के लिए नजदीक की तारीख पेशीयां लगाई जा रही है। प्रकरण में वर्ष 2016 से प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट विचाराधीन है। जिसमें एक तरफा स्थगन दिया हुआ है। यदि कानून के दायरे में रहकर प्रकरण का निस्तारण करना है तो छोटी तारीख पेशी देना आवश्यक है। छोटी पेशी लगाकर न्यायालय द्वारा कोई गुनाह नहीं किया गया है। समस्त कथन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

(5)

मनघडन्त दर्ज किये है। महेन्द्र द्वारा अपना समस्त हिस्सा छोटी देवी को विक्रय कर दिया है। जिससे महेन्द्र का सरेआम गांव में कहने का प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थी प्रकरण को जानबूझकर लम्बा करना चाहता है। उक्त आराजी से संबंधित सुगला द्वारा वर्ष 2003 में प्रार्थिया छोटी देवी के पति छाजू के विरूद्ध दावा किया जो सुगला द्वारा दिनांक 10.10.2003 को नोटप्रेस में खारिज करा लिया था अर्थात् 8 वर्ष तक दावा चलाकर अप्रार्थी के पति को परेशान किया गया। छाजू की मृत्यु के बाद सुगला द्वारा उसी आराजी पर पुनः बटवारा का दावा किया गया और दिनांक 03.11.2016 को एक तरफा में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति को स्थगन प्राप्त कर लिया। अप्रार्थी विधवा महिला है। अप्रार्थी का उक्त स्थगन की पालना में जरिये रजिस्टर्ड बयनामें का इंतकाल नहीं खुल पा रहा है तथा अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहीं है तथा ना ही किसी बैंक से ऋण प्राप्त कर पा रही है। प्रार्थी जानबूझकर प्रकरण का निस्तारण करवाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में मुन्तकिल प्रा0पत्र मय कॉस्ट खारिज फरमाया जाना उचित होगा।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं सहायक कलक्टर, बानसूर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। सहायक कलक्टर, बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रकरण में आगामी पेशी नहीं लगाई गई है और प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट में आगामी पेशी 24.05.2018 नियत की गई है। जबकि दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा–2018 कैम्प का आयोजन ग्राम पंचायत चतरपुरा में रखा गया था और पत्रावली में वर्णित आराजी राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा में स्थित है जो ग्राम पंचायत चतरपुरा के अन्तर्गत आता है। इसलिए पत्रावली मूल वाद सहित सुनवाई के लिए दिनांक 24.05.2018 को रखी गई थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार एवं न्यायालय में प्रकरणों का अनावश्यक भार ना पडें और प्रकरणों का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके इसलिए छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जाती है। जो दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियत की जाती है। प्रार्थी का यह कथन मनमाने तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों से पीठासीन अधिकारी का कोई लेना–देना नहीं है। पीठासीन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी भी है इसलिए अपनी समस्यांए लेकर पब्लिक आती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति सहायक कलक्टर, बानसूर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **31–12–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)